







# Form No. III

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (मुकाम) मारवाड़ जंक्शन

प्रशान्त टॉउन के बनाम लाल सिंह एते

किस्म मुकदमा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 51 सन् 2015

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिसिल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामिल में जारी हुए
18/2/15	<p>वकील वादी उपस्थित ।                      वकील वादी द्वारा एक राजस्व वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण के अन्तर्गत 53 .....राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कि गई जो दर्ज रजिस्ट्रर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 17/3/2015 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      मारवाड़ जंक्शन                 </p> <p>17/3 पत्रावली पेश हुई                      राज पीठासीन अधिकारी महोदय,                      अन्य कार्य से व्यस्त है/अवकाश पर है/                      बैठक में पधारें हुए हैं/अवकाश पर है                      अतः पत्रावली आवकाश                      दिनांक...15/3/15...को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       रिडर                      उप खण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट                      मारवाड़ जंक्शन                 </p> <p>15/4/2015 पत्रावली पेश हुई                      वकील श्री हनुमन्तकिट कुम्हार द्वारा प्रतिवादी संख्या                      1. 5-6 श्री ओर वकालत में पेश किया जो शा.फा.                      है। प्रति.स. 2,3,4 ओर प.ग. ली गई। पत्रावली                      वास्ते वकालत. लख जवाब आपका दिनांक                      13/5/2015 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       2015.                 </p> <p>13/5 राज्य सरकार एवं श्रीमान जिला कलेक्टर                      महो. पाली के निर्देशानुसार पत्रावली                      आयन्दा केम्प लोक अदालत ग्राम पंचायत                      मुख्यालय.....श्री.श्री. पर                      दिनांक...23/5/15...को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       उपखण्ड अधिकारी                      मारवाड़ जंक्शन                 </p>	<p>153</p> <p style="text-align: right;">  </p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      मारवाड़ जंक्शन                 </p>

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए ।
26/8/19	<p>पत्रावली पेश हुई आज पीठारीज अधिकारी महोदय, अन्य कार्य से व्यस्त है/भ्रमण पर है/ बेठक में पधारे हुए है/अवकाश पर है अतः पत्रावली आवन्दा दिनांक. 27/8/19 को पेश हो ।</p> <p>रिडर उप खण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मारवाड़ जंक्शन</p>	
27-9-19	<p>पत्रावली पेश हुई आज पीठारीज अधिकारी महोदय, अन्य कार्य से व्यस्त है/भ्रमण पर है/ बेठक में पधारे हुए है/अवकाश पर है अतः पत्रावली आवन्दा दिनांक. 11-10-19 को पेश हो ।</p> <p>रिडर उप खण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मारवाड़ जंक्शन</p>	
11/10/19	<p>पत्रावली पेश हुई आज पीठारीज अधिकारी महोदय, अन्य कार्य से व्यस्त है/भ्रमण पर है/ बेठक में पधारे हुए है/अवकाश पर है अतः पत्रावली आवन्दा दिनांक. 14/10/19... को पेश हो ।</p> <p>रिडर उप खण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मारवाड़ जंक्शन</p>	
14/10/19	<p>पत्रावली आज पेश हुई वकील वारी को दिनांक 19/8/19, 20/8/19, 26/8/19 तथा 3/9/19 को पीए लामत पेश करने हेतु निदेशित किया गया था तथा दिनांक 3/9/19 को अतिमरु अवसर भी दिया गया था किन्तु आदिनामके को पीए लामत पेश नहीं किये जिससे प्रकरण के प्रति वारी अवकाश वकील वारी का आवश्यक अथवा जागरण होना उचित नहीं होता है अतः पीए लामत पेश के अभाव में प्रकरण अर्थात् अदेश 3 नियम 5 के तहत जारीज किया जाता है जिससे फाइल रुम्बर होकर नम्बर ले लम्बी निरीक्षण हेतु इजलास आज दिनांक 14/10/19 को जारीज गया</p>	

महा नलसर  
माओ

